(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3593—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—10—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 784/अपील/2013—14.

.....

बुद्धसेन पुत्र सूर्यदीन साहू
निवासी ग्राम गोरगी तहसील
गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

रामाश्रय पुत्र शंकर प्रसाद साहू
निवासी ग्राम गोरगी तहसील
गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 11/10/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04—10—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा किये गये भूमि विकय के आधार पर आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ़ जिला रीवा के नामांतरण पंजी कमांक 110 में पारित आदेश दिनांक 6.9.89 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के न्यायालय में 24 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक

54/अ–6/2013–14 में पंजीबद्व कर निर्णय दिनांक 11.8.14 को धारा–5 का आवेदन निरस्त किया गया। इससे परिवेदित होकर अनावेदक रामाश्रय द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 4.10.14 द्वारा अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेख बहस प्रस्तुत की । लेखी बहस में लेख किया गया है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि आवेदक को विक्रय की गयी थी एवं आवेदक का नामांतरण दिनांक 6.9.89 को अनावेदक की सहमति एवं जानकारी में हो गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि भूमि की कीमत बढ़ जाने के कारण अनावेदक के मन में लालच आ गया एवं उसने 24 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के समक्ष नामांतरण आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की, अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को अत्यंत समयवाधित मानते हुये अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा करने का आवेदन निरस्त किया एवं अपील को निरस्त करते हुये यह टिप्पणी की, कि अनावेदक चाहे तो व्यवाहर न्यायालय में अपने स्वत्व का निराकरण करा सकता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा तो अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ का आदेश निरस्त किया तथा साथ ही आवेदक के नामांतरण आदेश दिनांक 6.9.89 को भी निरस्त कर दिया। आवेदक ने अपने पुनरीक्षण आवेदन में आधार लिये है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील का गुण दोषों पर निराकरण नहीं किया था इस कारण यदि अपर आयुक्त के मत में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था तब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में संशोधन करते हुये निर्देशित करना चाहिये था कि अनुविभागीय अधिकारी अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुण–दोषों पर निराकरण करें। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया है कि 1984 राजस्व निर्णय 328, 1982 राजस्व निर्णय 531, 1979 राजस्व निर्णय 521 आदि में यह अवधारित किया गया है कि यदि अधीनस्थ

अपीलीय न्यायालय ने समयावधि के बिन्दु पर आदेश पारित किया है एवं गुण–दोषों पर निर्णय नहीं दिया है तब यदि वरिष्ठ न्यायालय ऐसे आदेश को निरस्त करता है तब वरिष्ठ न्यायालय को प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण नहीं करना चाहिये एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निर्देश देना चाहिये कि प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण किया जाये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है वह इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होते हैं क्यों कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 पर निर्णय किया था न कि गुणदोषों पर, अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 4.10.14 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी खसरा कमांक 816 का जुज रकवा 0.24 एकड़ स्थित ग्राम गोरगी तहसील गुढ का भूमिस्वामी अनावेदक था, जिसे आवेदक को अनावेदक ने कभी विकी नहीं की। अनावेदक के चोरी हुये विकी पत्रक के आधार पर राजस्व निरीक्षक गुढ़ से नामांतरण पंजी कमांक 110 आदेश दिनांक 6.9.89 को करा लिया था जिसकी जानकारी अनावेदक को नहीं थी और न ही कोई सूचना एवं इश्तहार जारी किया गया था। अनावेदक को जानकारी तब हुई जब आवेदक द्वारा सीमांकन कराया गया। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में विकी पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा था लेकिन आवेदक द्वारा कोई विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ द्वारा इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि वगैर वैधानिक स्वत्व के यदि नामांतरण हो गया है उस नामांतरण से आवेदक को कोई वैधानिक स्वत्व प्राप्त नहीं होता एवं नामांतरण हो जाने से अनावेदक का स्वत्व समाप्त नहीं होता। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश की परधि में नहीं आता, क्यों धारा–5 के आवेदन पर विस्तृत दोनो पक्षों के तर्को की व्याख्या नहीं की। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया

है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 4.10.14 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसका श्रवण किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का विक्रय किया गया था नामांतरण पंजी कमांक 110 पर अनावेदक रामाश्रय के हस्ताक्षर हैं इससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नामांतरण हेतु अपनी सहमति दी गई है। सहमति के आधार पर ही राजस्व निरीक्षक गुढ द्वारा दिनांक 6.9.89 को नामांतरण स्वीकार किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के न्यायालय में 24 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 54/अ–6/2013–14 में पंजीबद्व कर निर्णय दिनांक 11.8.14 को धारा–5 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त द्वारा मात्र इसलिये अपील स्वीकार की गई है कि विकी पत्र प्रस्तुत नहीं किया है गया है। लेकिन अनावेदक रामाश्रय द्वारा अपनी सहमति दी गई है और पंजी कमांक 110 पर उसके हस्ताक्षर भी है। पंजी पर हस्ताक्षर होने से यह सिद्व होता है कि दिनांक 6.9.89 के आदेश की जानकारी रामाश्रय को थी। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किया जाकर नामांतरण आदेश दिनांक 6.9.89 निरस्त करने में त्रुटि की है क्यों कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र धारा–5 के आवेदन पर निराकरण किया गया था। आवेदक के अधिवक्ता के तर्को से मैं सहमत हूँ कि उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1984 राजस्व निर्णय 328, 1982 राजस्व निर्णय 531, 1979 राजस्व निर्णय 521 आदि में यह अवधारित किया गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा समयावधि के बिन्दु पर आदेश पारित किया है एवं गुण–दोषों पर निर्णय नहीं दिया है तब यदि वरिष्ठ न्यायालय ऐसे आदेश को निरस्त करता है तब वरिष्ठ न्यायालय को प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण नहीं करना चाहिये ।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 784/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4.10.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण धारा–5 के आवेदन पर ही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर